न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 34/2024

1. बाबूलाल पुत्र नारायणसिंह "फौत"
   1/1 शीलादेवी बेवा स्व0 बाबूलाल। समस्त जातिगण ठाकुर निवासी ग्राम मानपुर
   1/2 सुरेशचन्द्र । पुत्रगण । हाल आबाद तेलीपाड़ा धनौली आगरा उ0प्र0
   1/3 राकेश । स्व0 बाबूलाल ।
   1/4 सतीश । ।
   1/5 पुष्पा पुत्री स्व0 बाबूलाल पत्नी संजयसिंह जाति ठाकुर निवासी सेवला आगरा उ0प्र0
   1/6 कुसुम पुत्री स्व0 बाबूलाल पत्नी रामवीरसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम छाता तरौली तहसील छाता जिला मथुरा उ0प्र0

....वादीगण

बनाम

1. चरनसिंह पुत्र स्व0 भगवानसिंह । जातिगण ठाकुर निवासी ग्राम मानपुर हाल आबाद
2. ज्ञानसिंह पुत्र स्व0 भगवानसिंह । आदर्श स्कूल के पास मनियां
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा खेरली तामील जरिये प्रबंधक
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मनियां तामील जरिये प्रबंधक
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनियां

......प्रतिवादीगण

दावा हस्व दफा 88, 188, आरटीए।

प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सपठित आदेश धारा 11 जा0दी0 व 151 सीपीसी

निर्णय दिनांक 18.07.2025

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी इस आशय का पेश किया गया है, कि वादीगण बाबूलाल एवं उसके भाई सोबरन सिंह द्वारा प्रतिवादीगण के बाबा उदयराज के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् ए.सी.एम. धौलपुर में उनवानी बाबूलाल बनाम उदयराज किया था। जिसमें विवादित आराजी का साविक नम्बर 89 रकवा हाल नम्बर 167 रकवा 12 विस्वा, एवं साविक नम्बर 242 मिन जिसका हाल नम्बर 176 रकवा 1 बीघा 11 विस्वा बाकै ग्राम भानपुर तहसील व जिला धौलपुर है, जिसमें दावा में उभयपक्षों के मध्य दिनांक 14.07.1973 को राजीनामा के माध्यम से खसरा नम्बर साविक 89 व 242 मिन जिनको हाल नम्बर 167, 176 है प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूष उदयराज के हिस्से में आये शेष उदयराज क हिस्से में आये शेष नम्बरान 86, 87, 207, 208, 210, 213, 217 बाकै ग्राम भानपुर वादीगण बाबूलाल व उसके भाई सोवरन सिंह के हिस्से में रहे थे। इसी प्रकार से राजस्व अभिलेख में निर्णय व डिक्री दिनांक 01.09.1973 के आधार पर अमल किया गया। जिसके विरूद्ध वादीगण व उनके वारिसान को कोई भी उज्र करने के लिए अधिकार नहीं है तथा दावा धारा 11 सीपीसी से बाधित है। और निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी की स्वत्व घोषणा प्रतिवादी के पूर्व पुरूष उदयराज के हक में निर्णय व डिक्री दिनांक 01.09.2073 के माध्यम से हो गई थी। इसलिए दावा वादीगण क्षेत्राधिकार के बाहर एवं म्याद बाहर है इसलिए दावा वादीगण विधि से बाधित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित का अमल निर्णय व डिक्री तारीख 1.9.1973 की पालना में हुआ है इसलिए किसी भी निर्णय व डिक्री की आक्षेपित करने के लिए अंदर अवधि अपील की विकल्प खुला रहा इसलिए दावा वादीगण प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। इसलिए दावा वादीगण विधि से बाधित होने के कारण निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र का जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जिस मुकदमे का उल्लेख किया गया है वह उत्तरदाता के

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

पूर्व पुरूष बाबूलाल द्वारा ना तो प्रस्तुत किया गया ना बाबूलाल कभी उसमें हाजिर हुए तथा ना ही कोई उनके द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही जो प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में अंकित की है वह कूटरजित व फर्जी है जो कि प्रार्थीगण के द्वारा ही प्रस्तुत नकल प्रकरण क्रमांक 336/1971 से स्पष्ट होती है, जो प्रस्तुत हुआ वह सर्वप्रथम बाबूलाल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। यदि उपरोक्त प्रकरण के संदर्भ में देखा जाये तो उपरोक्त प्रकरण हुक्म इम्तनाई हेतु प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थीगण के पूर्व पुरूष उदयराज द्वारा जबाब भी प्रस्तुत किया गया था जिसमें उन्होंने विवादित अराजी के सम्बन्ध में कोई भी काउण्टर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया था। पूर्ववर्ती प्रकरण संख्या 336/1971 बाबूलाल बनाम उदयराज जिसमें राजीनामे के आधार पर डिक्री किया गया है उस राजीनामे में कहीं भी विवादित आराजी पर उदयराज को खातेदार घोषित करने की कोई प्रार्थना नहीं है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राजीनामा दिनांक 14.07.1973 को प्रस्तुत होने के पश्चात् निर्णय दिनाक 01.09.1973 को पारित किया गया डिक्री दिनांक 04.09.1975 को जारी की गई तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपियों पूर्ववर्ती प्रकरण में यदि बाबूलाल के हस्ताक्षरों को देखा जाये तो हर पृष्ठ पर अलग हस्ताक्षर है। जिससे अपने आप में यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त पूर्ववर्ती वाद छल–कपट व कूटरचित था। यदि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त शीर्षक प्रकरण धारा 11 सीपीसी से बाधित माना जा रहा है अर्थात रेस्ज्यूडीकेटा उपरोक्त प्रकरण पर लागू हो रहा है तो रेस्ज्यूकेटा का बिन्दु बिना साक्ष्य के तय नहीं किया जा सकता क्योंकि रेस्ज्यूडिकेटा का बिन्दु तथ्यों व विधि का मिश्रित प्रश्न है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के लिखित अभिवचनों को दोहराते हुए, कथन किया कि, न्यायालय सहायक कलक्टर धौलपुर में प्रकरण उनवानी बाबूलाल बनाम उदयराज प्रकरण संख्या 336/1971 पूर्व में चला था। जिसमें विवादित आराजी के गत खसरा नम्बर 89 व 242 हाल खसरा नम्बर हाल नम्बर 167, 176 वाके ग्राम भानपुर तहसील धौलपुर जिला धौलपुर है जिसमें दावा में उभयपक्षों के मध्य दिनांक 14.07.1973 को राजीनामा हो गया जिसमें आराजी खसरा नम्बर 167, 176 प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूष उदयराज के हिस्से में तथा आराजी खसरा नम्बर 86, 87, 207, 208, 210, 213, 217 बाके ग्राम भानपुर वादीगण बाबूलाल व उसके भाई सोवरन सिंह के हिस्से में आये बाकै ग्राम भानपुर वादीगण बाबूलाल व उसके भाई सोवरन सिंह के हिस्से में रहे थे। इसी प्रकार से राजस्व अभिलेख में निर्णय व डिक्री दिनांक 01.09.1973 के आधार पर अमल किया गया। हाजा बाद में पुनः वादीगण एवं उनके वारिसान उक्त आराजी के बाबत् पुनः वाद लाये है, जबकि विवादित आराजी की स्वत्व घोषणा प्रतिवादी के पूर्व पुरूष उदयराज के हक में निर्णय व डिक्री दिनांक 01.09.2073 के माध्यम से हो गई थी वादीगण पुनः उसी आराजी पर वही अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। दावा धारा 11 सीपीसी से बाधित है। विवादित का अमल निर्णय व डिक्री तारीख 1.9.1973 की पालना में हुआ है इसलिए किसी भी निर्णय व डिक्री की आक्षेपित करने के लिए अंदर अवधि अपील की विकल्प खुला रहा इसलिए दावा वादीगण प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। इसलिए दावा वादीगण विधि से बाधित होने के कारण निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। अपने कथनों के समर्थन में 2023(4) आर एल डब्ल्यू पेज संख्या 2851 प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि जब पक्षकारों के मध्य राजीनामा डिक्री से अवधरित हो जाते है, उसके बाद राजस्व अभिलेख में उसकी पारिणामिक प्रविष्टियां कर दी गई थी तो पश्चातवर्ती वाद आरम्भ से ही शून्य था। इसलिए दावा वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण ने कथन किया कि, वादीगण के पूर्व पुरूष व पूर्व वादी बाबूलाल ने हाजा प्रकरण से पूर्व कोई भी वाद न्यायालय में दर्ज नहीं कराया था। प्रतिवादीगण ने फर्जी दावा तैयार कराकर दावा दर्ज कराया था। और ना ही बाबूलाल ने कोई राजीनामा प्रस्तुत किया था। प्रतिवादीगण द्वारा कथित वाद 188 आरटीए का है ना कि स्वत्व घोषणा का है, और प्रतिवादीगण

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

के पूर्व पुरूष ने कोई काउण्टर क्लेम पेश किया था। इसलिए उक्त अनुतोष को नहीं माना जा सकता है। कानूनी नजीर 2016 आर बी जे पेज संख्या 553 पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत वादपत्र केवल तभी खारिज किया जा सकता है जब वादपत्र में दिया गया कथन बिना किसी जोड़–घटाव के कानून द्वारा वर्जित प्रतीत होता हो। 2016 आरबीजे पेज संख्या 566 के अनुसार जहॉ विधि और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न हो वहॉ निर्णय पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किया जाना आवश्यक है। 2011 (2) आरआरटी पेज संख्या 1395 पेश करते हुए कहा कि प्रतिवादी को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। 2011 (2) आरआरटी पेज संख्या 1398 पेश करते हुए कथन किया कि बिन्दु प्रत्यक्ष अथवा सारवान रूप से समान नहीं है अनुतोष भी दोनों वादों में एक समान नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया, पत्रावली, प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत कानूनी नजीरों का अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है, कि वाद पत्र में मद संख्या 2 में वर्णित विवादित आराजी के बाबत् न्यायालय में एक वाद उनवानी बाबूलाल बनाम उदयराज प्रकरण संख्या 336/1971 पूर्व में चला था। जिसमें वादीगण के पूर्व पुरूष बाबूलाल व प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूष उदयराज के मध्य विवादित आराजी खसरा नम्बर 167, 176 बाकै ग्राम भानपुर तहसील मनियां जिला धौलपुर के बाबत् राजीनामा हुआ था राजीनामा के आधार पर उक्त खसरा नम्बर 167, 176 प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूष उदयराज के हिस्से में आई तथा, राजीनामा के आधार न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया। हाजा प्रकरण पुनः उसी आधार पर प्रस्तुत किया है, इसलिए रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित है। वकील वादीगण का कथन है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में केवल वादपत्र के कथनों के आधार पर यह तय किया जावेगा कि दावा विधि द्वारा बाधित है या नहीं ना कि साक्ष्यों का पढ़ा जावेगा। स्वत्व का वाद कभी भी प्रारम्भिक स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है। इसलिए मूलवाद का निस्तारण तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा के मद संख्या 2 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 167, 176 बाकै ग्राम भानपुर तहसील मनियां जिला धौलपुर के बाबत् न्यायालय सहायक कलक्टर धौलपुर में पूर्व वाद उनवानी बाबूलाल बनाम उदयराज निर्णय दिनांक 01.09.1973 में राजीनामा के आधार पर विवादित आराजी खसरा नम्बर 167 व 176 बाकै ग्राम भानपुर तहसील मनियां जिला धौलपुर प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूष उदयराज के हक में आयी। वादीगण के दावा के मद संख्या 4 में यह अंकित है कि प्रतिवादी संख्या 1 व के पूर्व पुरूष उदयराज पुत्र स्व0 सामलिया ने राजस्व कर्मचारियों से साजिश कर विवादित आराजी में वादी एवं उसके भाई सोवरन के नाम के स्थान पर अपना नाम दर्ज रिकार्ड करा लिया। वैधानिक रूप से प्रभावी नहीं है, जबकि प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूष का नाम राजस्व रिकार्ड में न्यायालय सहायक कलक्टर धौलपुर के पूववर्ती वाद में राजीनामा के आधार पर पारित डिक्री के आधार पर दर्ज रिकार्ड किया गया। वादीगण ने मूलवाद विवादित आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 167, 176 बाकै ग्राम भानपुर तहसील मनियां जिला धौलपुर के पूर्ण भाग का खुद को खातेदार काश्तकार घोषित कराने हेतु निवेदन किया है। जबकि पूर्ववर्ती वाद में राजीनामा के आधार पर जारी न्यायालय सहायक कलक्टर धौलपुर की डिक्री दिनांक 01.09.1973 के आदेश में उक्त आराजी प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूष उदयराज के हिस्से में आयी थी। वादीगण के पास उक्त डिक्री के विरूद्ध अपील के अवसर थे। अतः उक्त स्थिति में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार वादीगण का दावा विधि द्वारा स्पष्टतया वर्जित है। जिस प्रश्न या आधार का निर्णय किया जा चुका हो न्यायालय पुनः उसी प्रश्न और आधार पर विचारण नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन मूलवाद रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरें हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होती

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

है। वादीगण दावा तथ्यों को छिपाते हुए, लाये है। इसलिए दावा वादीगण विधि द्वारा वर्जित एवं रेस ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना एवं दावा वादीगण खारिज किया जाना न्यायालय उचित समझती है।

अतः आदेश है, कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। दावा वादीगण विधि द्वारा वर्जित होने एवं रेस ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता पर्चा डिकी जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मु0
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

डिकी व मुकदमे इब्तदाई

अज अदालत : **सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर**
व **इजलास :** डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या : 34 / 2026

1. बाबूलाल पुत्र नारायणसिंह "फौत"
1/1 शीलादेवी बेवा स्व0 बाबूलाल। समस्त जातिगण ठाकुर निवासी ग्राम मानपुर
1/2 सुरेशचन्द्र । पुत्रगण । हाल आबाद तेलीपाड़ा धनौली आगरा उ0प्र0
1/3 राकेश । स्व0 बाबूलाल ।
1/4 सतीश । ।
1/5 पुष्पा पुत्री स्व0 बाबूलाल पत्नी संजयसिंह जाति ठाकुर निवासी सेवला आगरा उ0प्र0
1/6 कुसुम पुत्री स्व0 बाबूलाल पत्नी रामवीरसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम छाता तरौली तहसील छाता जिला मथुरा उ0प्र0 ....वादीगण

बनाम

1. चरनसिंह पुत्र स्व0 भगवानसिंह । जातिगण ठाकुर निवासी ग्राम मानपुर हाल आबाद
2. ज्ञानसिंह पुत्र स्व0 भगवानसिंह । आदर्श स्कूल के पास मनियां
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा खेरली तामील जरिये प्रबंधक
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मनियां तामील जरिये प्रबंधक
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनियां ......प्रतिवादीगण

दावा हस्व दफा 88, 188, आरटीए।

प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सपठित
आदेश धारा 11 जा0दी0 व 151 सीपीसी

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ डॉ साधना शर्मा (आर.ए.एस.) व हाजिरी श्री निशांत भार्गव एडवोकेट मिनजानिव मुद्दई एवं श्री देवेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ एडवोकेट मिनजानिव मुद्यालह ने पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। दावा वादीगण विधि द्वारा वर्जित होने एवं रेस ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 18.07.2025 को जारी की गई।

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मु0
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)